संख्या- 5/2015/1168/22-4-14-48(70)/94टीसी-2

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-09जनवरी, 2015

विषय- घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार, रामपुर को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के लिए नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 25330/नम-2, दिनांक- 09.09.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि घनी आबादी के मध्य आ गयी जिला कारागार, रामपुर को शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के लिए नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1,16,84,03,000/-(रूपया एक अरब सोलह करोड. चौरासी लाख तीन हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 20,00,00,000/-(रूपया बीस करोड. मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-'

(1) प्रायोजना अन्तर्गत प्रस्तावित बॉट आउट आइटम्स श्रेणी के कार्य मदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्यिां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) प्रयोजना अन्तर्गत कतिपय कार्यमदों यथा किचेन उपकरण, फर्नीचर, हैण्ड मेटल डिटेक्टर, मल्टीजोन फ्रेम डिटेक्टर, सीसीटीवी, एच0टी0 पैनल/एल0टी0 पैनल, डीजी सेट, सब स्टेशन उपकरण, ईपीबीएक्स सिस्टम आदि की लागत बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः इन मदों के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। उक्त कार्य प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्य हैं एंव इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः महानिरीक्षक कारागार से यह अपेक्षा है कि निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर ही किया जाय।

(5) प्रयोजना के अन्तर्गत सीवर लाइन, वाटर लाइन, हर्टीकल्चर, लैण्ड स्केपिंग फर्नीचर, रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं विघुत सम्बन्धी कार्य मदों की लागत एक मुश्त अथ्वा डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गयी है। अतः उक्त कार्य मदों का विस्तृत आगणन शिड्यूल आफ रेट्स पर गठित किया जाय तथा उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(6) प्रायोजना अन्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसा प्रयोजना के स्कोप में परिवर्तन, नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/श्रेत्रफल में वृद्वि, लोड वियरिंग के स्थान पर फेम्ड स्ट्रक्चर पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय परियोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रयोजना के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) प्रयोजना अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा किय यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय। पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीक़त नहीं की जायेगी ।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक कर लिया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(12) परियोजना से सम्बन्धित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1965/दस-2014, दिनांक-07 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-2/2015/1168 (1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, रामपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्कीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in